

बिहार सरकार।  
शिक्षा विभाग,  
अधिसूचना

संख्या 8/व 3-157/2003 अंश-ग...../

पटना, दिनांक...../

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 34 एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 25 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में राज्य सलाहकार परिषद् का गठन किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनके कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्षों का होगा।

शिक्षा मंत्री, राज्य सलाहकार परिषद् के पदेन सभापति होंगे। यह परिषद् 14 सदस्यीय होगा जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे:-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक कोटि
  - (I) श्री भागवत लाल वैश्यंती— सेवा निवृत विशेष निदेशक (माठशि०), झारखण्ड, सरकार
  - (II) इमारते सरिया, फुलवारीशरीफ, पटना के प्रधान
  - (III) श्री परमानंद कृष्णदेव, माननीय स०वि०स०, रानीगंज
  - (IV) श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स० वि० स० मनिहारी
2. निःशक्ति कोटि (विशेषज्ञ सदस्य)
  - (I) श्री मनोज कुमार, भूतपूर्व आयुक्त, निःशक्तता
3. विद्यालय पूर्व शिक्षा (विशेषज्ञ सदस्य)
  - (I) सुश्री रुक्मणी बनर्जी, प्रथम
4. शिक्षक शिक्षा (विशेषज्ञ सदस्य)
  - (I) प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, पटना
  - (II) प्राचार्य, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, Women's College Patna.
5. अन्य सदस्य
  - (I) श्रीमती श्वेता शांडिल्य, यूनिसेफ
  - (II) डॉ० (प्रोफेसर) विनोद कुमार, प्रोफेसर, सांख्यिकी, पटना विश्वविद्यालय
  - (III) श्रीमती गुड़डी देवी, माननीय स० वि० स०, रुनी सैदपुर
  - (IV) श्री पदम पराग राय वेणु, माननीय स० वि० स०, फारबिसगंज

(V) श्री अशोक कुमार, माननीय संविंशति, वारिसनगर

(VI) श्री डॉ दाउद अली, माननीय संविंशति, दुमरौव

उक्त पर माननीय मुख्यमंत्री बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-८/व ३-१५७/२००३ अंश-१५८/पटना, दिनांक-१७/८/१२/

प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद/निदेशक (प्रांशि०)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी माननीय सदस्यों को बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली २०११ की एक-एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अमरजीत सिन्हा)

प्रधान सचिव